

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं०- 09/उपा०/बीज०/अनु०-33/2018
प्रेषक :

3609

/क० पटना, दिनांक 04-7-2018

हिमांशु कुमार राय, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में :

मेसर्स वेस्टर्न बायो भेजीटेबुल सीड्स प्रा० लि०

मुहल्ला- अशोकचक्क, प्रताप नगर अपोजिट एन०आर०एल० पेट्रोल पम्प, वेस्ट ऑफ कृष्णा
निकेतन, डिवाइन् वैली इन्टरनेशनल स्कूल, के बगल में, न्यू बाईपास, थाना- रामकृष्णनगर,
पो०- मनोहरपुर, कछुआरा, जिला- पटना।

विषय : नई बीज बिक्री अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

आपसे प्राप्त प्रपत्र-ए, कोषागार चालान, स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिए पंजीकरण किया जाता है:-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजे। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत घोषित बीज समय-समय पर बीज नमूना जाँच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 48/2018 संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित बीज का ही व्यापार संलग्न सूची के अनुसार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि 03/07/2021 तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :- बीज की सूची संलग्न।

विश्वासभाजन,

H. S. Kumar
2.7.18

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 3609

/क०, पटना, दिनांक 04-7-2018

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/ उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/ सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

H. S. Kumar
2.7.18

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

Ok
2.7.18

H

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

मेसर्स वेस्टर्न बायो भेजीटेबुल सीड्स प्रा० लि० (गांधीनगर, गुजरात)
के द्वारा राज्य में निम्न फसल प्रभेदों का व्यवसाय किया जाएगा।

पत्रांक:- 3609

दिनांक:- 04-7-18

LIST OF CROP & VARIETIES

क्र० सं०	फसल क नाम	प्रभेद का नाम
1	GROUNDNUT	KING NEER-20, KING-666, KING PRAMUKH, KING BHEEM, KING KRANTI, KINGS 45. SB-11, TAG-24, TG-37 A, GG-2, GG-20
2	HY. CASTOR	KING SUMUL, KING AMUL, KING PRATAP, KING ANMOL-44, KING SHIVA,
3	CUMIN	KING KRISHNA, GC-4
4	BAJRA	KING 1112, KING 2021, KING-555
5	MOONG	KING NAVJIVAN, KING POWER, KING POWER+
6	WHEAT	KING LEADER, KING LEADER+, KING LEADER LONG, KING SUPER, GW-496, HD-2189, GW-273, LOK-1
7	TIL	KING KARMA-44, KING KARMA, KING BLACK
8	SOYABEAN	KING SHAKTI, JS-335,
9	URID	KING-109, KING BOLD, T-9, GUJRAT-1, TAU-1
10	TUR	KING TRIDEV, KING TRIDEV+, KING LAXMI, BDN-2, ICPL-87
11	GUWAR	QUEEN-151- QUEEN LAXMI
12	GUM GUWAR	KING NO.1, KING NO.1+
13	COWPEA	QUEEN GREEN
14	OKRA	QUEEN RADHE, QUEEN-108, QUEEN-111
15	CORIENDER	QUEEN KHUSHBU, KING SUPER+
16	MUSTARD	KING PRABHAT, KING SUPRABHAT, KING SURYA
17	FENNEL	KING-88
18	ISABGOL	KING-18
19	METHI	QUEEN RUCHI
20	GRAM	KING GANESHI
21	MAIZE	KING-7444, KING-8666, KING-9596
22	FODDER BAJRA	QUEEN GAURI, QUEEN AMBA
23	LUCERN	KING PAVAN, KING SATVIK, KING NAITIK
24	SSG-JUWAR	KING-777, KING-5555

25	PALIS	KING DEWAN, KING BALWAN, KING SHAKTIMAN
26	HY. PADDY	KING-2020, KING 4040
27	PALAK	QUEEN LEAFY

कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक-09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

Asfui
2.7.18
(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

Ne

4/1/18

f

FORM 'B'
(See Clause 5)



LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

License No. 48 Date 04.07.2018

Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the license Sri मेसर्स वेस्टर्न बायो भेजीटेबुल सीड्स प्रा० लि०, (गांधीनगर, गुजरात) is hereby granted license to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business at मुहल्ला- अशोकचक्क, प्रतापनगर अपोजिट एन०आर०एल० पेट्रोल पम्प, वेस्ट ऑफ कृष्णा निकेतन, डिवाइन वैली इन्टरनेशनल स्कूल के बगल में, न्यू बाईपास, थाना- रामकृष्णानगर, पो०- मनोहरपुर, कछुआरा, जिला- पटना the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Storage	Place of Sale
मेसर्स वेस्टर्न बायो भेजीटेबुल सीड्स प्रा० लि० द्वारा-रिता देवी, म०-जगरियापुर, रोड न०- 02, गैस गोडाउन रोड, पो०-बडी पहाडी, थान-रामकृष्णानगर, न्यू बाईपास रोड, जिला-पटना,	मेसर्स वेस्टर्न बायो भेजीटेबुल सीड्स प्रा० लि० मुहल्ला- अशोकचक्क, प्रतापनगर, अपोजिट एन०आर०एल० पेट्रोल पम्प, वेस्ट ऑफ कृष्णा निकेतन, डिवाइन वैली इन्टरनेशनल स्कूल के बगल में, न्यू बाईपास, थाना- रामकृष्णानगर, पो०- मनोहरपुर, कछुआरा, जिला- पटना
पूरब - राजू कुमार	पूरब - जितेन्द्र कुमार
पश्चिम - अनीता सिंह	पश्चिम - उमेश प्रसाद
दक्षिण - चन्द्रभूषण कुमार	दक्षिण - कृष्णा सिंह
उत्तर - रास्ता	उत्तर - रास्ता

Date : 04/07/2018

Seal : 09/2407/विज/अन 33/2018 - 3609

As per
2-7-18
Licensing Authority
Director of Agriculture
Bihar, Patna

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE.

1. The license shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
2. The holder of the license shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
3. This license comes into force with immediate effect and shall be valid up to 03/07/2021 (3rd July 2021) Unless previously cancelled or suspended.
4. The holder of the license shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
5. The licensee shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by in him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
6. Separate license should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately).

Sanjiv

J